क्रम-संख्या–77

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 08 अप्रैल, 2021 ई0
(चैत्र 18, 1943 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 1620/दस लाइसेंस-77/बीयर फुटकर नियमावली/2021-2022

प्रयागराज, दिनांक : 08 अप्रैल, 2021 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि–27

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिसूचना सं0 12011/दस-लाइसेंस-77/इलाहाबाद 21 मार्च, 2001 समय समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

(उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

1–**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–**(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (उन्नीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**नियम–2 का संशोधन**–उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	**स्तम्भ-2** (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
2 (1) परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–	2 (1) परिभाषाएं–जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) "बीयर" में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;	(ख) "बीयर" में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;
(ग) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;	(ग) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;
(घ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(घ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ङ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता–पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;	(ङ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;
(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;	(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;
(ज) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है;	(ज) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर ,वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है;
परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा;	परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा;

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात् प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाईसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है;	(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पष्चात् प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाईसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है;
परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राश्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;	परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राश्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;
(ञ) "कम तीव्रता के मादक पेय" का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय;	(ञ) "कम तीव्रता के मादक पेय" का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय;
(ट) ''अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य, अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 के गुणांक में अगले स्तर पर लाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो अतिरिक्त एक्स आसवनी मूल्य के रूप में यवासवनी स्तर पर संदेय होगी और यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से वसूली योग्य होगी तथा जो बाद में थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;	(ट) ''अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य, बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आवसनी/यवासवनी/विनटनरी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी/विनटनरी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत/एक्स विनटनरी लागत के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;
(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;	(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;
(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;	(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ढ) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;	(ढ) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;
(ण)''ऋणशोधन क्षमता''का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;	(ण)''ऋणशोधन क्षमता''का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;
(त) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	(त) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(थ) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;	(थ) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;
(द) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;	(द) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;
(ध) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।	(ध) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।
(न) 'वाइन' का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोहलिक अर्न्तवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक न हो।	(न) 'वाइन' का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोहलिक अर्न्तवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक न हो।
	(प) ''त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) से प्राप्त समान राजस्व से है।
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3–**नियम-का संशोधन**–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	**स्तम्भ-2** (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियम-3 फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन–	नियम-3 फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन–
(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए, बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा अथवा ऑफर आमंत्रित कर व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।	(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा अथवा ऑफर आमंत्रित कर व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।
(ख) भू-गृहादि के ''बाहर'' उपभोग के लिए मुहरबंद बोतलों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र एफ0एल0-5(ख) में प्रदान किया जायेगा।	(ख) भू-गृहादि के ''बाहर'' उपभोग के लिए मुहरबंद बोतलों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र एफ0एल0-5 (ख) में प्रदान किया जायेगा।

4–**नियम-13 का संशोधन**–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	**स्तम्भ-2** (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियम-13 बीयर/वाइन का उठान–	नियम-13 बीयर/वाइन का उठान–
(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/2(ख) से एवं जिला/प्रभार/राज्य के एफ0एल0-2डी लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, जो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।	(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/वि0म0 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/वि0 म0 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, जो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।
अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।	अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य–बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।	(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य–बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर/वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांग पत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी के लिए कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।	(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांग पत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी के लिए कम से कम पूर्ववर्ती वर्श के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा। (घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी। (दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय उठाने के लिए शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्बमर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा। (तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी। (चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
	यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो। (ङ) (एक) त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। (दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंस-धारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा। (तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से स्म्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। (चार) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व अंतरण फीस, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा अनुरोध किये जाने के समय संदेय होगी। परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से, अंतरिती लाइसेंसधारी अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अंतरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। पी0 गुरु प्रसाद, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 1620/X-Licence-77 Beer Retail Niyamawali/2021-2022

Prayagraj, dated: April 08, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (Act no. IV of 1910) read with wection 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules, 2001 published vide notification no. 12011/X-Licence 77/Allahabad/ March 21, 2001 as amended time to time :

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF BEER) (NINETHEENTH AMENDMENT) RULES, 2021

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) (Nineteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-2–In the Uttar Pradesh Excise (Seettlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules, 2001, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :

Column-I *Existing clause*	**Column-II** *Clause as hereby substituted*
2 (1) Definition–In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-	2 (1) Definition–In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910	*(a)* "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910;
(b) "Beer" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v.	*(b)* "Beer" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v;
(c) "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole year.	*(c)* "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole year;
(d) "Excise Year" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;	*(d)* "Excise Year" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;
(e) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;	*(e)* "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;\
(f) "Form" means the form appended to these rules;	*(f)* "Form" means the form appended to these rules;
(g) "Licensing Authority" means the Collector of the District;	*(g)* "Licensing Authority" means the Collector of the District;

Column-I *Existing clause*	**Column-II** *Clause as hereby substituted*
(h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer , Wine and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof:	*(h)* "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer , Wine and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof:
Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year.	Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year;
(i) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.	*(i)* "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government;
Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded.	Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded;
(j) "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Nuetral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor.	*(j)* "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Nuetral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;
(k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Brewery level and recoverable by brewery from wholesale supplier in addition to Ex-brewery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price.	*(k)* "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer/wine/LAB to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery /Brewery/Vintenery level and recoverable by Distillery /Brewery/ Vintenery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/ Ex-brewery/Ex-Vintenery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;

Column-I *Existing clause*	**Column-II** *Clause as hereby substituted*
(l) "Earnest money" means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules.	*(l)* "Earnest money" means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules.
(m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery.	*(m)* "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
(n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution.	*(n)* "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;
(o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence.	*(o)* "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;
(p) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application.	(p) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application;
(q) "Settlement" means settlement or re-settelment of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.	*(q)* "Settlement" means settlement or re-settelment of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;
(r) "consideration fee" means a fee for beer, wine and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages .	*(r)* "consideration fee" means a fee for beer, wine and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages;
(s) "State" means the State of Uttar Pradesh.	*(s)* "State" means the State of Uttar Pradesh;
(t) "Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of anyother fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit.	*(t)* "Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of anyother fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit;

Column-I *Existing clause*	Column-II *Clause as hereby substituted*
	(u) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Beer, Wine and LAB, as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale;
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;

3. **Amendment of rule-3**–In the said rules, for existing rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :

Column-I *Existing clause*	Column-II *Clause as hereby substituted*
3. Settlement of licenses for retail sale-	3. Settlement of licenses for retail sale-
(a) Subject to the provisions of these rules and subject to the payment of licence fee and security amount of the retail shop for sale of beer and low alcohalic beverage liquor licenses shall be settled or re-settled by fixed fee system or by inviting offer as specified herein.	*(a)* Subject to the provisions of these rules and subject to the payment of licence fee and security amount of the retail shop for sale of beer, wine and low alcoholic beverage liquor licenses shall be settled or re-settled by fixed fee system or by inviting offer as specified herein.
(b) The licence shall be granted in the Form F.L.5-B for retail sale of beer and low alchohalic breverage in sealed bottles or such containers as approved by the Excise Commissioner from time to time for consumption "Off" the premises.	*(b)* The licence shall be granted in the Form F.L.5-B for retail sale of beer, wine and low alcoholic beverage in sealed bottles or such containers as approved by the Excise Commissioner from time to time for consumption "Off" the premises.

4**. Amendment of rule-13**–In the said rules, for existing rule 13 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely–

Column-I *Existing clause*	Column-II *Clause as hereby substituted*
13. Lifting of beer/Wine–	13. Lifting of beer/Wine/**LAB–**
(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer , wine in addition to Low alcoholic beverages from any wholesale licence (FL-2/F.L.2B) of the districts, and FL-2D of district/ charge/ State after making full payment of cost price including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L-2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.	*(a)* The licensee under these rules shall obtain supplies of beer , wine in addition to low alcoholic beverages from any wholesale licence (**FL-2/ F.L.2B) of the districts,** after making full payment of cost price including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L-2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.

Column-I *Existing clause*	**Column-II** *Clause as hereby substituted*
In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.	In case of insufficient supply of any district, District Excise Officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.
(b) The Maximum Retail Price-The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the lables of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the lables of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.	*(b)* The Maximum Retail Price-The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the lables of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the lables of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.
(c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/Low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter beer/wine/Low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer/wine/Low strength alcoholic beverage (LAB) lifted in the preceding year.	*(c)* Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) lifted in the preceding year.
	(d) (i) In case the licensee fails to lift beer, wine and LAB at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld. (ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of beer, wine and LAB equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue. (iii)Additional security so deposited shall be refunded after lifting of beer, wine and LAB equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter.

Column-I *Existing clause*	Column-II *Clause as hereby substituted*
	(iv) In case licensee fails to lift beer, wine and LAB equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded. If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue . *(e)* (i) The licensee desiring to transfer the part of Quarterly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a quarterly basis, within an excise district. (ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually. (iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected. (iv) A Quarterly Minimum Guaranteed Revenue transfer fee as prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government, shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request; Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.

P. GURU PRASAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0–5 असाधारण गज़ट–09.04.2021–125 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।